रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 1997/ज्येष्ठ 8, 1919
No. 18] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 1997/JYAISTHA 8, 1919

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 1997

संख्या-24013/4/94-स्थापना (ख).—भारत के राष्ट्रपति के पास श्री शेर सिंह, सदस्य, हरियाणा लोक सेवा आयोग, (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) के कथित दुर्व्यवहार के संबंध में एक मामले की रिपोर्ट की गई थी;

भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 317 के खण्ड (1) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 मार्च, 1995 को उक्त मामला भारत के उच्चतम न्यायालय को यह जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए निर्दिष्ट किया था कि क्या श्री शेर सिंह को दुर्व्यवहार के आधार पर आयोग के सदस्य के पद से हटा दिया जाए;

हरियाणा के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 317 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शेर सिंह को आयोग की सदस्यता से 29 मार्च, 1995 से निलम्बित कर दिया था;

भारत के उच्चतम न्यायालय ने उस निर्देश (1995 का निर्देश केस सं. 1) के उत्तर में 19 जनवरी, 1997 को सकारात्मक निर्णय दे दिया है;

अतः अब, भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त श्री शेर सिंह को आयोग के सदस्य के उनके पद से 29 मार्च, 1995 से हटाते हैं।

राष्ट्रपति के नाम में और उनके आदेश से।

हरिन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 26th May, 1997

No. 24013/4/94-Estt. (B).—WHEREAS a matter was reported to the President of India about an alleged misbehaviour on the part of Shri Sher Singh, Member, Haryana Public Service Commission (hereinafter referred to as the Commission);

And whereas the President of India, in exercise of powers conferred upon him by clause (1) of article 317 of the Constitution, referred the matter to the Supreme Court of India on the 18th March, 1995 for inquiry and report as to whether Shri Sher Singh, ought, on the ground of misbehaviour be removed from the office of the member of the Commission:

And whereas the Governor of Haryana, in exercise of the powers conferred by clause (2) of article 317 of the Constitution placed Shri Sher Singh under suspension from the membership of the Commission with effect from the 29th March, 1995;

And whereas the Supreme Court of India delivered a Judgement on 19th January, 1997 answering the Reference (Reference case No. 1 of 1995) in the affirmative;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (1) of article 317 of the Constitution of India, the President of India hereby removes the said Shri Sher Singh from his office of member of the Commission with effect from the 29th March, 1995.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF INDIA

HARINDER SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997